न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–श्री चावण्डदान चारण (आर.ए.एस)

(1) प्रकरण संख्या – डिक्री 153 सन् 2017
पंजीयन दिनांक 25.07.2017

1. मोतीलाल पिता वेणा जाति जाट मृतक के बजाय
   1. नन्दराम पिता मोती जाति जाट निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
   2. भेरूलाल पिता मोती जाति जाट निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
   3. रामी बाई पिता मोती जाति जाट निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
2. जीतु पिता टेका जाति जाट मृतक के बजाय
   1. नारायणी पुत्री जीतु जाति जाट निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
   2. अणछी पुत्री जीतु जाति जाट निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
   3. शांति (कांति) पुत्री जीतु जाति जाट निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
   4. श्यामलाल पिता जीतु जाति जाट निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांटगण

विरूद्व

1. रामा पिता हजारी जाति जाट निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
2. रोशनलाल पिता शोभालाल जाति लोढा निवासी सेंती तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. मधुदेवी पत्नि रोशनलाल जाति लोढा निवासी सेंती तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
4. हर्षित पिता रोशनलाल जाति लोढा निवासी सेंती तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
5. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार भदेसर तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भदेसर
प्रकरण संख्या 76 / 2015 प्राथमिक निर्णय एंव डिक्री दिनांक 24.11.2016 एवं
संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2017

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपस्थित– 1. चन्दनमल जणवा –अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. खुमराज कुमावत –अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. छोगालाल जाट–रेस्पोडेन्ट सं. 2,3,4
4. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक–रेस्पो.सं. 5

(2) प्रकरण संख्या – डिक्री 184 सन् 2017
पंजीयन दिनांक 22.08.2017

1. मोतीलाल पिता वेणा जाति जाट मृतक के बजाय
   1. नन्दराम पिता मोती जाति जाट निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
   2. भेरूलाल पिता मोती जाति जाट निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
   3. रामी बाई पिता मोती जाति जाट निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
2. जीतु पिता टेका जाति जाट मृतक के बजाय
   1. नारायणी पुत्री जीतु जाति जाट निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
   2. अणछी पुत्री जीतु जाति जाट निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
   3. शांति (कांति) पुत्री जीतु जाति जाट निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
   4. श्यामलाल पिता जीतु जाति जाट निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांटगण

विरूद्व

1. रामा पिता हजारी जाति जाट निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
2. रोशनलाल पिता शोभालाल जाति लोढा निवासी सेंती तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. मधुदेवी पत्नि रोशनलाल जाति लोढा निवासी सेंती तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
4. हर्षित पिता रोशनलाल जाति लोढा निवासी सेंती तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
5. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार भदेसर तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भदेसर
प्रकरण संख्या 76/2015 अंतिम निर्णय एंव डिक्री दिनांक 12.07.2017

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपस्थित– 1. चन्दनमल जणवा –अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. खुमराज कुमावत –अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. छोगालाल जाट–रेस्पोडेन्ट सं. 2,3,4
4. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक–रेस्पो.सं. 5

निर्णय **दिनांक 05.04.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्टगण 2 से 5 प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा बानसेन तहसील भदेसर की आराजी नम्बर 1533, 1536, 1537, 1540, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546 कुल किता 9 रकबा 11.45 हैक्टेयर अवस्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का 1/6 हक व हिस्सा व प्रतिवादीगण अपीलान्टगण का संयुक्त रूप से 5/6 हक व हिस्सा निहित है। मौके पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी व अपीलान्टगण प्रतिवादीगण द्वारा अपने हक व हिस्से अनुसार बाह्मी तौर पर बंटवाडा कर रखा है। किन्तु रेस्पोडेन्ट सं.1 वादी अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के मध्य उक्त आराजीयात की सीमा बन्दी व लगाम को लेकर लडाई–झगडा करते है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी अपना 1/6 हक व हिस्से को अपीलान्टगण प्रतिवादीगण से अलग बंटवाडा कराकर राजस्व रेकार्ड मे अपना हक हिस्सा अलग दर्ज कराने का अधिकारी है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने दिनांक 20.08.2015 को उक्त आराजीयात का बंटवाडा कराने हेतु प्रतिवादी को कहा तो वे इंकार हो गये जिससे वाद कारण पैदा होकर वादपत्र बंटवाडा आराजीयात प्रस्तुत किया।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय मे पंजीबद्ध किया जाकर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया व बरोज पेशी अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से वाद पत्र के तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। काउन्टर क्लेम मे यह वर्णित किया कि वाद वर्णित आराजीयात बानसेन मे स्थित होना आंशिक स्वीकार है। किन्तु रेस्पोडेन्ट वादी व अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के बीच ओर कृषि आराजीयात संयुक्त खातेदारी मे है। जिसको रेस्पोडेन्ट वादी ने दुर्भावना से वादपत्र मे सम्मिलित नही किया है। जिसके खाता सं. 182 मे दर्ज आराजी नम्बर 1318, 1322 कुल किता 2 कुल रकबा 0.77 हैक्टेयर खाता सं. 181 मे दर्ज आराजी नम्बर 1320, 1324 कुल किता 2 कुल रकबा 0.49 हैक्टेयर भी पक्षकारान के संयुक्त हक व हिस्से की है। वादपत्र मे वर्णित आराजीयात मे रेस्पोडेन्ट वादी का 1/6 अपीलान्टगण प्रतिवादीगण 1 व 2 का 5/6 हक व हिस्सा अपीलान्टगण प्रतिवादीगण ने सम्मिलित होना स्वीकार किया। लेकिन अन्य खाता सं. 182 मे दर्ज आराजी नम्बर 1318, 1322 मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का 1/6 अपीलान्ट सं. 2 प्रतिवादी सं. 2 का 5/12 हक हिस्सा निहित है। व खाता सं. 181 मे दर्ज आराजी नम्बर 1320, 1324 मे भी रेस्पोडेन्ट सं. वादी का 1/6 व अपीलान्ट सं. 2 का

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

5/12 हक व हिस्सा निहित है। जिसको रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने सम्मिलित नही किया है। काउन्टर क्लेम मे यह भी निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी द्वारा अपीलान्टगण प्रतिवादीगण को कभी भी बंटवाडे हेतु नही कहा। व पूर्व मे बाहमी बंटवाडा होकर उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने बिना वाद कारण के अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पत्र प्रस्तुत किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

उक्त आशय का जवाबदावा व काउन्टर क्लेम अपीलान्ट प्रतिवादीगण की ओर से अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने मे अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे दावा जवाबदावा व काउन्टर क्लेम को रेकार्ड पर लिया जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी के दस्तावेज व अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के दस्तावेजो का अवलोकन किया जाकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने दावा व काउन्टर क्लेम मे प्रस्तुत सम्पूर्ण आराजीयात के सम्बन्ध मे प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की जाकर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हक व हिस्से के अनुसार पक्षकारान के मध्य बंटवाडे किये जाने की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई। तत्पश्चात् अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय ने कमिश्नर तहसीलदार भदेसर से उभयपक्षो की उपस्थिति मे फर्द बंटवाडा मंगवाया जाकर दिनांक 12.07.2017 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई।

अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.2016 के विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 व 2 अपीलान्टगण ने इस न्यायालय मे अपीले प्रस्तुत की है जो इस न्यायालय द्वारा अपील क्रमांक डिक्री 153/2017 दर्ज रजिस्टर की गई व अपीलान्टगण ने अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री 12.07.2017 के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो अपील क्रमांक डिक्री 184/2017 दर्ज रजिस्टर की गई व रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल मिसल की गई। व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की ओर से प्रस्तुत प्रकरण सं. 76/2015 मे दिनांक 24.11.2016 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे कमिश्नर से फर्द बंटवाडा मंगवाया जाकर दिनांक 12.07.2017 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई। जिससे उक्त दोनो ही निर्णय व डिक्री मे वाद वर्णित आराजीयात व पक्षकारान समान होने व अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय की पत्रावली एक ही होने से दोनो अपीलो मे एक साथ बहस सुनी जाकर एक साथ एक ही निर्णय से निर्णित की जाने से उचित होने से निर्णित की जा रही है। निर्णय की प्रति दोनो पत्रावलियो मे अलग–अलग संलग्न की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.2016 के विरूद्ध अपीलान्टगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत की जिससे अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसमे वर्णित तथ्य स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद ली जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्टगण ने लिखित व अपनी ओर से मौखिक बहस मे निवेदन किया कि अपीलान्टगण प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया। अपीलान्टगण प्रतिवादीगण ने काउन्टर क्लेम से जो अनुतोष चाहा गया वह अपीलान्टगण प्रतिवादरीगण को नही दिया गया है। यह भी निवेदन किया गया कि प्रतिवादी सं. 2 की मृत्यु हो चुकी थी फिर भी नाम कायमी की कार्यवाही किये बगैर निर्णय पारित किया गया। व कमिश्नर स्वंय के द्वारा फर्द बंटवाडा तैयार नही किया जाकर अपने अधीनस्थ कर्मचारियो से फर्द बंटवाडा तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है। जिससे कमिश्नर द्वारा बंटवाडा नियम 18 से 21 की पालना नही किया जाने से अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2017 व प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.2016 निरस्त फरमाते हुए प्रकरण अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने निवेदन किया कि अपीलान्टगण प्रतिवादीगण ने जवाब दावे के साथ काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर खाता सं. 181 व 182 मे दर्ज आराजीयात जो पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी की है का भी बंटवाडा किये जाने का निवेदन किया है। जिसको अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय ने स्वीकार कर दावा व प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम मे वर्णित कृषि आराजीयात को सम्मिलित की जाकर मिट्स एण्ड बावण्डस के अनुसार बंटवाडा किये जाने की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई। व कमिश्नर स्वंय के द्वारा मौके पर जाकर अपने अधीनस्थ कर्मचारियो के सहयोग से फर्द बंटवाडा उभयपक्षो व मौतबीरान की उपस्थिति मे तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया है। व उक्त फर्द बंटवाडे पर आपत्ति व एतराज सुना जाकर अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय ने अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है। जो नियमानुसार होने से अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2,3,4,5 ने अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री व प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे पारित अंतिम निर्णय व डिक्री को विधिपूर्ण होना बताते हुए अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस व अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय की पत्रावली

का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि पत्रावली मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने दावे एवं काउन्टर क्लेम मे सम्पूर्ण आराजीयात पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी की होना मानते हुए हक व हिस्से के अनुसार बंटवाडा किये जाने की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे कमिश्नर द्वारा अपने कर्मचारियो के साथ उभयपक्षो व मौतबीरान की उपस्थिति मे फर्द बंटवाडा तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे बंटवाडा नियम 18 से 21 की पालना करते हुए फर्द बंटवाडा प्रस्तुत किया व फर्द बंटवाडे पर उभयपक्षो की आपत्ति व एतराज सुना जाकर दिनांक 12.07.2017 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई। जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.2016 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2017 वैधानिक होने से अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.2016 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2017 मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अपीलान्टगण की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीले संहवनीय नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्टगण प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 अपील क्रमांक डिक्री 153/2017 व अपील क्रमांक डिक्री 184/2017 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर प्रकरण संख्या 76/2015 प्राथमिक निर्णय व डिकी दिनांक 24.11.2016 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2017 यथावत रखा जाकर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपीले निरस्त की जाती है। निर्णय की प्रति अपील क्रमांक डिक्री 153/2017 व अपील क्रमांक डिक्री 184/2017 मे एक–एक प्रति शामिल की जावे। उसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ लोटायी जावे।

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री चावण्डदान चारण (आर.ए.एस.)

अपील सं. 153/2017 /डिक्री

(1) श्री भेरीलाल पिता बेरा जाट मृतक के वारिसान –
(i) भेरराम पिता मोती जाट निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
(ii) भेरूलाल पिता मोती जाट निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
(iii) रामीबाई पिता मोती जाति जाट निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
(2) जीतु पिता टेका जाति जाट मृतक के वारिसान –
(i) नारायणी पुत्री जीतु जाट निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

बनाम

(1) श्री रामा पिता हजारी जाट निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
(2) रोशनलाल पिता शोभालाल जाति लोढा निवासी सेंती तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
(3) मधुदेवी पत्नि रोशनलाल लोढा निवासी सेंती तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
(5) हर्षित पिता रोशनलाल जाति लोढा निवासी सेंती तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट –रेस्पोडेन्ट

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, भदेसर दि. 24-11-2016 एवं संशोधित दि. 02-6-17

प्रकरण सं. 76/2015 अन्तर्गत धारा 53 रा.का.अ. 1955

निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 05-4-2022 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री चन्दनमल जाट व रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री [illegible] रेस्पो. 1, रोशनलाल स्वयं रेस्पो. 2, 3, 4, [illegible] रेस्पो. 5

की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि –

अपील अपीलान्टगण प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 अपील क्रमांक डिक्री 153/2017 व अपील क्रमांक डिक्री 184/2017 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर प्रकरण संख्या 76/2015 प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 24-11-2016 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12-7-2017 यथावत रखा जाकर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपीलें निरस्त की जाती है।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि —/— रुपये हैं, —/— द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे —/— द्वारा दिये जाने हैं।

यह आज दिनांक 05-4-2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

(श्री चावण्डदान चारण आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक : 05-4-2022

अपील खर्चे :

अपीलान्ट	रूपये	रेस्पोडेन्ट	रूपये
1. अपील के ज्ञापन के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. आदेशिकाओं की तामील		3. आदेशिकाओं की तामील	
4. .... रू. पर प्लीडर की फीस		4. .... रू. पर प्लीडर की फीस	
योग		योग	

P.T.O.

2. आशादेवी पुत्री जीतु जाति जाट निवासी कानसिन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

3. शान्ति (कांति) पुत्री जीतु जाट निवासी कानसिन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

4. श्यामलाल पिता जीतु जाति जाट निवासी कानसिन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

5. सरकार जरिये भूमि धारी तहसीलदार भदेसर तहसील भदेसर जिला चित्तौ

राजस्व अपील अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)